UPAD010073152026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, प्रयागराज।
उपस्थितः– अभय प्रताप सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
J.O.CODE– UP6315
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2719/2026

अरविन्द गुप्ता पुत्र स्व. राजेंद्र नाथ गुप्ता, निवासी– शाहा उर्फ पीपलगांव, थाना– एयरपोर्ट, जनपद– प्रयागराज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु.अ.सं.– 202/2025
धारा– 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी.एन.एस.
थाना– एयरपोर्ट, प्रयागराज।

दिनांक– 17.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त अरविन्द गुप्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं.– 2719/2026, संबंधित मु.अ.सं.– 202/2025, धारा– 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी.एन.एस., थाना– एयरपोर्ट, प्रयागराज प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अनूप कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 10.11.2025 को थाना एयरपोर्ट में इस आशय की तहरीर दी गई कि– मौजा शाहा उर्फ पीपलगाँव, तहसील सदर, प्रयागराज स्थित आराजी संख्या 533, रकबा 0.4910 हे. की स्वामिनी प्रार्थी की बुआ स्व. श्रीमती लीलावती देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण थीं। उनके निधन दिनांक 24.07.2001 के पश्चात् उनकी तीन पुत्रियाँ श्रीमती कृष्णा कुमारी, श्रीमती शिवकुमारी तथा श्रीमती राजकुमारी के नाम राजस्व निरीक्षक (दक्षिणी) के आदेश दिनांक 10.10.2017 के आधार पर 27.10.2017 को खतौनी में दर्ज किए गए। मई 2025 के प्रथम सप्ताह में यह जानकारी मिली कि अरविन्द गुप्ता पुत्र स्व. राजेन्द्र नाथ गुप्ता उक्त भूमि को अपनी बताकर प्रस्तुत कर रहा है। तहसील सदर में अभिलेखों की जाँच करने पर यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने नामान्तरण वाद संख्या 202402030612111 दाखिल कर 09.08.2024 का आदेश अपने पक्ष में पारित करा लिया है। जब यह तथ्य श्रीमती कृष्णा कुमारी को बताया गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी माता स्व. लीलावती देवी ने जीवनकाल में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया था। यदि ऐसा कोई विक्रय विलेख अस्तित्व में होता, तो अभियुक्त 45 वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करता और 2017 में नामान्तरण के समय आपत्ति अवश्य करता। उन्होंने प्रार्थी को इस प्रकरण में कार्यवाही हेतु मुख्तारआम प्रदान किया। प्रार्थी द्वारा नामान्तरण अभिलेखों का निरीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि नामान्तरण का आधार एक प्रमाणित प्रति, नकल संख्या 3723/2024 दिनांक 24.06.2024 थी, जो एक तथाकथित विक्रय विलेख संख्या 4055 दिनांक 10.09.1979 (पंजीकरण दिनांक 15.09.1979) से संबंधित दर्शाई गई है, जो बही संख्या 1, जिल्द संख्या 1934, पृष्ठ संख्या 249 से 253 तक दर्ज होना प्रदर्शित किया गया है, जिसमें स्व. श्रीमती लीलावती देवी को उक्त संपत्ति की विक्रेता तथा अरविन्द गुप्ता को क्रेता के रूप में दर्शाया गया है। प्रमाणित प्रति श्री एस. के. शुक्ला, अधिवक्ता अरविन्द गुप्ता के वकील के नाम निर्गत होना दर्शाती है। प्रार्थी द्वारा उपनिबंधक सदर, प्रयागराज कार्यालय से उक्त विक्रय विलेख संख्या 4055/1979 की प्रमाणित प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। कार्यालय से यह सूचित किया गया कि उक्त क्रमांक का कोई विक्रय विलेख संबंधित बही संख्या, जिल्द संख्या एवं पृष्ठ संख्या पर अभिलेखागार मे उपलब्ध ही नहीं है। इस सूचना से यह गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ कि जब मूल विक्रय विलेख अभिलेखों में विद्यमान ही नहीं है, तो नकल संख्या 3723/2024 के अंतर्गत उसकी प्रमाणित प्रति किस

प्रकार निर्गत की गई। इस तथ्य की पुष्टि हेतु प्रार्थी द्वारा श्रीमान मंडलायुक्त, प्रयागराज मण्डल के समक्ष दिनांक 26.07.2025 को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई, जिस पर जाँच के आदेश पारित हुए। तत्पश्चात् जिलाधिकारी प्रयागराज ने आदेश दिनांक 30.07.2025 द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गयी। उक्त शिकायत की जाँच के दौरान उप– निबंधक, सदर प्रथम द्वारा प्रस्तुत दो आख्याओं से यह तथ्य सिद्ध हुआ कि अभियुक्त अरविन्द गुप्ता ने जालसाज़ी की है। प्रथम आख्या दिनांक 27.08.2025 में स्पष्ट किया गया कि विक्रय विलेख संख्या 4055/1979 का कोई मूल अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जबकि द्वितीय आख्या दिनांक 17.10.2025 में यह उल्लेख किया गया कि नकल संख्या 3723/2024 पर एस.के. शुक्ला, अधिवक्ता को जारी प्रमाणित प्रति वास्तव में दस्तावेज़ संख्या 3985, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 1934, पृष्ठ 187–191, दिनांक 13.09.1979 से संबंधित थी, जो बाबा दीन पुत्र जंगी, ग्राम फरीदपुर, चक ताजपुर, तहसील चायल, द्वारा मिठाई लाल पुत्र राम प्रसाद के पक्ष में निष्पादित की गई एक अन्य विक्रय विलेख थी। अभियुक्त अरविन्द गुप्ता भली–भाँति जानते हुए भी कि स्व. श्रीमती लीलावती देवी ने उनके पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया है, अपने अधिवक्ता श्री एस. के. शुक्ला के साथ पूर्वनियोजित षड्यंत्र के तहत एक जाली प्रमाणित प्रति तैयार कराने की योजना बनाई। इस षड्यंत्र के अंतर्गत अभियुक्तों ने नकल संख्या 3723/2024 पर एक अन्य विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, जो दस्तावेज़ संख्या 3985, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 1934, पृष्ठ 187–191, से संबंधित थी जिसे बाबा दीन पुत्र जंगी, ग्राम फरीदपुर, चक ताजपुर, तहसील चायल ने मिठाई लाल पुत्र राम प्रसाद के पक्ष में दिनांक 13.09.1979 को निष्पादित किया था। उक्त दस्तावेज की प्रति को अभियुक्तों ने फर्जी तरीके से परिवर्तित करते हुए संपूर्ण विवरण बदल दिए। उसमें विक्रेता के रूप में स्व. श्रीमती लीलावती देवी तथा क्रेता के रूप में अरविन्द गुप्ता पुत्र स्व. राजेन्द नाथ गुप्ता का नाम अंकित कर दिया गया। साथ ही, उस पर विक्रय विलेख संख्या 4055, दिनांक 10.09.1979, पंजीकरण दिनांक 15.09.1979, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 1934, पृष्ठ संख्या 249 – 253 अंकित करते हुए एक फर्जी प्रमाणित प्रति तैयार की गई और यह झूठा चित्र प्रस्तुत किया गया कि मानो स्व. श्रीमती लीलावती देवी ने उक्त भूमि अरविन्द गुप्ता के पक्ष में विधिवत विक्रय की हो तथा यह दस्तावेज़ उसी विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति हो। उक्त कूटरचित प्रमाणित प्रति, जो दिनांक 24.06.2024 को निर्मित बताई गई है, तैयार किए जाने के पश्चात अभियुक्त अरविन्द गुप्ता ने नामान्तरण वाद संख्या T202402030612111 दायर किया और उसमें उक्त जाली/कूटरचित प्रमाणित प्रति को अपने पक्ष में बैनामे के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। उक्त कूटरचित दस्तावेज़ के आधार पर अभियुक्त ने अपने नाम पर अवैध रूप से प्रविष्टि करा ली। यद्यपि उक्त नामान्तरण आदेश दिनांक 27.08.2025 को तहसीलदार, सदर, प्रयागराज द्वारा अपास्त कर दिया गया है, तथापि जाली दस्तावेज़ का कूटरचना एक स्वतंत्र एवं दंडनीय अपराध है। यह समस्त कृत्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अभियुक्त अरविन्द गुप्ता एवं उसके अधिवक्ता श्री एस. के. शुक्ला ने आपसी मिलीभगत से भूमि हड़पने की दुराशय से एक जाली प्रमाणित प्रति तैयार कर उसका दुरुपयोग किया। अतः प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है। वादी मुकदमा द्वारा दी गई उक्त तहरीर के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व एस.के.शुक्ला के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक व्यापारी है और मुकदमा उपरोक्त में पूर्णतया निर्दोष है उसे पारिवारिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने आराजी सं. 533 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा स्थित ग्राम शाहा उर्फ पीपलगांव परगना व तहसील सदर जनपद प्रयागराज का 1/2 भाग यानी 1 बीघा 1 विस्वा 10 धूर अपनी बुआ श्रीमती लीलावती देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण पुत्री स्व. शारदा प्रसाद से जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 10.09.1979 को कय किया, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक इलाहाबाद के कार्यालय मे बही सं.1 जिल्द सं. 1934 के पृष्ठ सं. 249 से 253 पर दस्तावेज नं. 4055 पर दिनांक 15.09.1979 को पंजीकृत है। आवेदक ने बैनामा की सत्य प्रतिलिपि श्री एस.के. शुक्ला एडवोकेट के माध्यम से दिनांक 20.06.2024 को उपनिबन्धक सदर प्रयागराज को निकलवायी जिसका सवाल नं. 3723 वर्ष 2024 है। यह कि आवेदक से पंजीकृत बैनामा दिनांकित 10.09.1979 के सत्य प्रतिलिपि के आधार पर तहसीलदार (न्यायिक) सदर प्रयागराज के न्यायालय मे नामांतरण वाद सं. 202402030612111 दाखिल किया और तहसीलदार (न्यायिक) सदर प्रयागराज ने नियमानुसार आदेश दिनांकित 09.08.2024 द्वारा आवेदक का नाम बतौर स्वामी खतौनी मे अंकित कर दिया। आवेदक ने दिनांक 10.09.1979 को जब उक्त सम्पत्ति खरीदा उतनी समय आवेदक के पिता स्व. राजेन्द्र नाथ गुप्ता जीवित थे और बैनामा के उपरान्त मूल पंजीकृत विलेख अपने पास रखा था और उक्त सम्पत्ति पर बैनामा की तिथि पर आवेदक का कब्जा व दखल चला आ रहा

है। पिता का स्वर्गवास जनवरी 2018 को हो गया। आवेदक को जब जानकारी हुई कि उसका नाम तहसील के अभिलेखो मे अंकित नहीं है और घर पर मूल अभिलेख न मिलने पर श्री एस.के. शुक्ला एडवोकेट के माध्यम से पंजीकृत बैनामा की सत्य प्रतिलिपि निकलवाया और अपना नाम खतौनी मे अंकित कराया। आवेदक के सगे भाई अनूप गुप्ता पुत्र स्व. राजेन्द्र नाथ गुप्ता ने न्यायिक तहसीलदार सदर प्रयागराज के पत्रांक सं. 374/उ.नि. सदर प्रथम 25 दिनांक 27.08.2025 पर उपनिबन्धक सदर प्रथम प्रयागराज के कार्यालय मे उपनिबन्धक सदर प्रथम श्री चतुरभुज पाण्डेय व अन्य कर्मचारियो की मिली भगत से एक रिपोर्ट तहसीलदार सदर प्रयागराज के यहाँ भेजवायी उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार नकल सं. 3723/2024 के संबंध मे रिकार्ड कीपर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय अभिलेख मे नकल क्रमांक 3723/2024 पर अंकित तिवारी द्वारा नकल द.न. 5610/2013 जारी किया जाना अंकित है। उपरोक्त लोगो ने साजिशन बैनामा के जिल्द से दस्तावेज फाड दिया है। आवेदक ने जन सूचना अधिकार के माध्यम से जानकारी किया व उपनिबन्धक प्रथम प्रयागराज के पत्रांक सं. 474/उ.नि.–25 दिनांक 17.10.2025 पर आख्या दी गयी आख्या के अनुसार नकल सं. 3723/2024 जो अभिलेखागार से सबधित है के क्रम में यह संशोधित आख्या प्रेषित करते हुये अवगत कराया है कि प्रभारी रिकार्ड कीपर ने उक्त अभिलेखागार रजिस्टर उपलब्ध कराया जिसमे नकल सं. 3723/2024 श्री एस.के. शुक्ला अधिवक्ता को निर्गत की गयी है। उक्त प्रकरण दीवानी प्रकृति का है और किसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा यह साबित नही किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैनामा की सत्य प्रतिलिपि जो उपनिबन्धक सदर के कार्यालय से श्री एस.के. शुक्ला एडवोकेट के माध्यम से निकाली गयी वह कूटरचित है। आवेदक 67 साल का वृद्ध व बीमार व्यक्ति है जिसका काफी दिनो से इलाज चल रहा है। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय और न ही माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है और न ही विचाराधीन है। यह कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक जमानत पर रिहा किये जाने पर विवेचना को प्रभावित नहीं करेगा और न ही अभियोजन साक्षियों को परेशान करेगा। प्रार्थी विवेचनाधिकारी द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं उपस्थित होगा और विवेचना में सहयोग प्रदान करेगा। प्रार्थी न्यायालय की अनुमति के बिना भारत वर्ष छोड़कर नहीं जायेगा और मा. न्यायालय द्वारा पारित समस्त निर्देशों का पालन करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर, वादी मुकदमा की बुआ की संपत्ति को अपने नाम पर हस्तानांतरित कराने के दुराशय से जाली दस्तावेजों की कूटरचना की गई है। अभियुक्त के दस्तावेज सत्य न पाये जाने के कारण तहसीलदार सदर द्वारा दिनांक 27.08.2025 को आराजी सं.– 533 का नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया। यह अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। दौरान विवेचना, अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है। वह लगातार फरार चल रहा है। उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट व धारा 84 बी.एन.एस.एस. की आदेशिका जारी की गई फिर भी वह लगातार लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त को जमानत मिलने पर विवेचना में हस्तक्षेप किये जाने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त कथन करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6. केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मु.अ.सं.– 202/2025, अंतर्गत धारा– 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी.एन.एस. पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यह आक्षेप है कि उसने वादी मुकदमा की बुआ स्व. लीलावती देवी की भूमिधरी आराजी सं.– 533, रकबा– 0.4910 हे., स्थित– मौजा शाहा उर्फ पीपलगाँव, तहसील– सदर, प्रयागराज को अवैध ढंग से हड़पने के दुराशय से सहअभियुक्त के साथ मिलकर दस्तावेजों की कूटरचना की व उन अवैध दस्तावेजों का प्रयोग भूमि के नामांतरण में किया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने दिनांक 10.09.1979 को अपनी बुआ लीलावती देवी से जरिये पंजीकृत बैनामा उक्त भूमि को क्रय किया, जो दस्तावेज सं.– 4055 के रूप में दर्ज है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपनिबंधक सदर प्रथम, प्रयागराज द्वारा न्यायिक तहसीलदार, सदर, प्रयागराज को प्रेषित आख्या में उपनिबंधक सदर द्वारा यह कथन किया

गया है कि संबंधित जिल्द सं. 1934 में उक्त विक्रय पत्र संख्या– 4055/1979 उपलब्ध नहीं है, जिस कारण संबंधित दस्तावेज का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रभारी रिकार्ड कीपर ने उक्त अभिलेख की नकल सं.– 3723/2024, एस.के.शुक्ला अधिवक्ता को निर्गत की गई है किंतु वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रति आपत्ति/प्रतिशपथपत्र के साथ संलग्न, संलग्नक–8 में उप निबंधक प्रथम, प्रयागराज द्वारा उप निरीक्षक, थाना एयरपोर्ट, प्रयागराज को प्रेषित पत्र के पैरा 04 में यह अंकित है कि नकल संख्या 3723/2024, जैसा कि अभिलेखो में दर्ज है, जिसे आवेदक एस.के.शुक्ला अधिवक्ता को जारी की गई है, वह दस्तावेज सं. 4055 वर्ष 1979 से संबंधित न होकर दस्तावेज संख्या– 3985 जिल्द संख्या 1934 वर्ष 1979 से संबंधित है, जो बाबादीन वल्द जंगी साकिन मौजा फरीदपुर, चकताजपुर, परगना व तहसील– चायल, जिला– इलाहाबाद (विक्रेता) द्वारा मिठाईलाल वल्द रामप्रसाद साकिन मौजा– फरीदपुर, चकताजपुर, परगना व तहसील– चायल, जिला इलाहाबाद के पक्ष में आराजी नं.– 347 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित मौजा फरीदपुर, चकताजपुर परगना तहसील चायल जिला इलाहाबाद का बैनामा निष्पादित किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा स्थानांतरण पर आपत्ति किये जाने के उपरांत व प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दाखिल दस्तावेजों को फर्जी पाये जाने के बाद तहसीलदार सदर द्वारा दिनांक 27.08.2025 को आराजी सं.– 533 का नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आराजी सं.– 533 का स्थानांतरण अवैध ढंग से अपने नाम से कराये जाने हेतु सहअभियुक्त की मदद से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये हैं। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना सहयोग नहीं किया गया है। उसके विरूद्ध धारा 84 बी.एन.एस.एस. (82 दं.प्र.सं.) की उद्घोषणा आदेशिका भी न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं.– 06, प्रयागराज द्वारा जारी की जा चुकी है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये, गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अरविंद गुप्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2719/2026, संबंधित मु.अ.सं.– 202/2025, धारा– 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बी.एन.एस., थाना– एयरपोर्ट, प्रयागराज निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 17.07.2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
प्रयागराज।
J.O.CODE–UP6315

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.07.28 10:57:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court